भू–उपयोग परिर्वतन संबंधी प्रावधान

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 182 एवं भू–उपयोग परिर्वतन नियम 2021

- राज्य के नगरीय निकायों सें प्राप्त होने वाले भू–उपयोग परिवर्तन संबंधित प्रकरण जिनका मास्टर प्लान में भिन्न उपयोग अथवा पट्टे शुद्धा भूखण्ड का अन्य उपयोग चाहा गया है। ऐसे प्रकरणों का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 182 एवं भू–उपयोग परिवर्तन नियम, 2021 एवं समय–समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों के तहत् निदेशालय स्तर पर तकनीकी परीक्षण कर गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति, नगर नियोजन विभाग में प्रेषित किये जाते हैं। उक्त परिपेक्ष में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आदेशों/नियमों की प्रति संलग्न है।

नगरीय निकायों के मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु नगर नियोजन विभाग से समन्वयः–

- राज्य की ऐसी नगरीय निकाय जिनके मास्टर प्लान की समयावधि समाप्त हो चुकी है तथा ऐसी नवगठित नगरीय निकाय जिनके मास्टर प्लान तैयार किये जाने है। उक्त संबंध में मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान से समन्वय कर मास्टर प्लान्स तैयार करवाया जाना है।